कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

882 जिला विद्यालय निरीक्षक,
बुलन्दशहर।

883 बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

पत्रांक –सी.एम.ओ./तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21 दिनांक: 08.02.2021

विषय:–जनपद मे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0 –2003 के प्रति जनमानस को जागरूक करने तथा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु जनपद के समस्त स्कूलों में "येलो लाइन" कैम्पेन चलाते हुए जनपद को धूम्रपान /तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–रा.त.नि. प्रकोष्ठ/2018–2019/3068 दिनांक 15.01.2019 के द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादो के विज्ञापन –विपणन, आपूर्ति एवं वितरण को प्रतिबन्धित करने के लिये वर्ष 2003 मे एक अधिनियम जारी किया गया था जिसे कोटपा अधिनियम 2003 के नाम से जाना है अधिनियम के समूचित कियान्वयन हेतु जनपद के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादो के प्रयोग की पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निर्दशित किया गया हैं। तथा तम्बाकू मसाला/गुटखा/धूम्रपान इत्यादि का प्रयोग निषिद्व करते हुए शासकीय कार्यालयों/विद्यालयों/ अस्पतालों/के परिवारों में अधिकारियो/अगन्तुको के तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया गया है एवं दण्डात्मक प्राविधान किये गये है।

अतः आपसे अपेक्षा किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अपने कार्यालय/परिसर को तम्बाकू मुक्त कराते हुए जनपद को तम्बाकू मुक्त घोषित कराने मे अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सुनिचित करे। तथा पत्र के साथ संलग्न प्रारूप को अपने कार्यालय परिसर में चस्पा/दीवार लेखन कराते हुए तम्बाकू मुक्त परिसर का घोषणा पत्र एवं दीवार लेखन फोटो मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय एवं ई–मेल: ntcp.bulandshahar@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1.साईनेज (60सेमी0x30सेमी0) का प्रारूप।
2.दीवार लेखन प्रारूप।
3.तम्बाकू मुक्त घोषणा पत्र प्रारूप।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर।

पत्रांक:/रा.त.नि.का./2020–21 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखिति को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
2. राज्य तम्बाकू नियत्रण प्रकोष्ठ ,स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर।